मूल्य 1 रुपया

# कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 67 | अप्रैल, 2022 | अंक 04 | कुल पृष्ठ 8

## तीन कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य अनिल घनवत ने समिति की रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट की कुछ बातें।

(उन्होंने ये रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी की है, जिसके कुछ अंश प्रकाशित किए जा रहे हैं, भारत कृषक समाज का इससे कोई सरोकार नहीं है।)

मालूम हो कि मोदी सरकार ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों–कृषक **उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून**, कृषक **(सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) कानून को** संसद से पारित कराया था।

हालांकि इस कानून के बनते ही किसानों का चौतरफा विरोध शुरू हो गया था. सरकार के लोग इन कानूनों को कृषि की दिशा में 'बहुत बड़ा सुधार' बता रहे थे. लेकिन किसान और किसान संगठनों का आरोप था कि इन कानूनों के चलते न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की स्थापित व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे–धीरे पूरे देश में फैल गया और किसानों ने आकर दिल्ली की सीमाओं पर किलेबंदी कर दी।

इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। 12 जनवरी 2021 को तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसके सदस्य भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत, कृषि अर्थशास्त्री और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट दक्षिण एशिया

के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व चेयरमैन अशोक गुलाटी थे। भूपिंदर सिंह मान ने खुद को समिति से अलग कर लिया था। कोर्ट ने दो महीने के भीतर किसानों संगठनों और संबंधित स्टेकहोल्डर्स से बात कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। समिति ने 19 मार्च 2021 को शीर्ष अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था।

बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। उन्होंने दलील दी थी कि सरकार कृषि क्षेत्र के सुधार संबंधी लाभों के बारे में विरोध करने वाले किसानों को नहीं समझा सकी।

इस रिपोर्ट के साथ घनवत ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र भी जारी किया। समिति ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी थी 19 मार्च को उसके एक साल पूरे हो गए। घनवत ने कहा कि इस दौरान उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तीन बार पत्र लिखा। यह पत्र 1 सितंबर 2021, 23 नवंबर 2021 और 17 जनवरी 2022 को लिखे गए थे।

घनवत का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मिलने के बाद ही उसे सार्वजनिक कर दिया होता तो किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बेहतर जानकारी मिल पाती और संभव है कि इन कानूनों को रद्द करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। समिति ने सिफारिश की थी कि कृषि कानूनों को रद्द करने या लंबे समय तक उससे टालना उन लोगों के लिहाज से ठीक नहीं होगा जो इन कानूनों के पक्ष में हैं। देश के किसानों को इस तरह की चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। तीन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे संगठनों से बातचीत नहीं की जा सकी थी, क्योंकि उन्होंने समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था।

घनवत का कहना है कि **'मैंने कृषि सचिव से कहा है कि वे पोर्टल बनाकर इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारी मुहैया कराएं। लोगों का ये सोचना सही है कि किन किसान संगठनों से बात हुई है. इसलिए न सिर्फ किसान संगठनों के नाम, बल्कि उनके साथ हुई बातचीत का सारा फुटेज सार्वजनिक किया जाना चाहिए. मैं ये मांग लगातार उठा रहा हूं।'**

ये पूछे जाने पर कि रिपोर्ट में क्यों काफी कम किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व है और दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों से क्यों बात नहीं हुई, घनवत ने कहा,

**'चर्चा ये होनी चाहिए कि समिति ने जो सिफारिश दी है, वो सही है या नहीं। लेकिन बहस अलग ही दिशा में जा रही है। सभी लोगों से बात करना संभव नहीं है। चूंकि उस समय कोरोना वायरस का काफी प्रभाव था, इसलिए हम प्रदर्शन वाले क्षेत्र में नहीं जा सके। हमने सोचा था कि एक दिन वहां जाकर लंगर खाएंगे और किसानों से बात करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य चिंताओं के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए।'**

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसान संगठनों से सीधे बातचीत के बाद कई तरह की बातें सामने निकल कर आई.इनमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर समाधान के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने, किसान न्यायालय या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने, आवश्यक वस्तु अधिनियम को पूरी तरह से खत्म करने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार करने जैसे इत्यादि सुझाव शामिल थे। प्रदर्शनकारी किसानों से तो उनकी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के जरिये उनकी चिंताओं और सुझावों को संज्ञान में लिया गया है।

समिति ने किसान संगठनों से सीधे बात करने के अलावा एक पोर्टल (https://farmer.gov.in/sccommittee/) के जरिये भी लोगों की राय ली थी. इसमें कृषि कानूनों से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए थे. हालांकि ये सवाल दो भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में ही थे। अनिल घानवत ने लल्लनटॉप से इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस माध्यम से समिति को कुल 19 हजार 27 सुझाव या आपत्तियां प्राप्त हुए थे।इनमें से 5451 प्रतिक्रियाएं किसानों ने भेजी थीं। वहीं किसान संगठनों ने 151 जवाब और किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) ने 929 प्रतिक्रियाएं भेजी थीं. बाकी 'अन्य स्टेकहोल्डर्स' ने 12 हजार 496 जवाब या सुझाव भेजे थे।

इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्टल के जरिये तीन कृषि कानूनों पर भेजे गए जवाब या आपत्तियों में 65.67 फीसदी हिस्सेदारी 'अन्य स्टेकहोल्डर्स' की है. इस श्रेणी में जवाब देने वालों में किसानों के अलावा वे लोग शामिल हैं, जो खेती-किसानी से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं।

घनवत का कहना है कि 'ये **पोर्टल देश के सभी लोगों के लिए खुला था, खेती भले ही कुछ लोग करते हों, लेकिन इसका प्रभाव हर एक देशवासी पर पड़ता है. इसलिए सभी तरह के लोगों की राय लेनी जरूरी है। इसलिए इस पोर्टल पर हर तरह के सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए किसान होना जरूरी नहीं है'**

संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि समिति द्वारा किया गया आंकलन पूरी तरह से हास्यास्पद है, उन्होंने ट्वीट कर कहा **'इस पोर्टल के जरिये सुझाव देने वालों में सिर्फ 5,451 लोग ही किसान हैं, बाकी के 12,496 लोग किसान नही हैं। इन किसानों का क्या बैकग्राउंड है? ये अन्य स्टेकहोल्डर्स कौन लोग हैं? इन लोगों की प्रतिक्रियाओं को इस रिपोर्ट में क्यों शामिल किया गया है? ऐसे कई सवालों पर समिति ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये आंकड़े कबाड़ हैं।'**

इन दो माध्यमों के अलावा सुप्रीम कोर्ट समिति ने ईमेल (sc.committee-agri/gov.in) के जरिये लोगों के सुझाव मांगे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी को कुल 1520 ईमेल प्राप्त हुए थे. हालांकि इसमें इस बात का ब्योरानहीं है कि ऐसे ई-मेल भेजने वालों में कितने किसान थे और कितने अन्य लोग थे। रिपोर्ट में लिखा है, समिति ने ये ई-मेल भेजने वाले लोगों के नाम नहीं बताने का फैसला किया है।

इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट समिति ने साक्ष्य आधारित विश्लेषण किया है। इसमें उसने कृषि क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर्स के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए एक किसान नीति बनाने का सुझाव दिया है। विश्लेषण में भारतीय कृषि को 1950 के दशक से लेकर अब तक पांच चरणों में विभाजित किया गया है और मौजूदा समय में देश की खेती-किसानी को 'वन नेशन, वन मार्केट' की दिशा में ले जाने की बात की है।

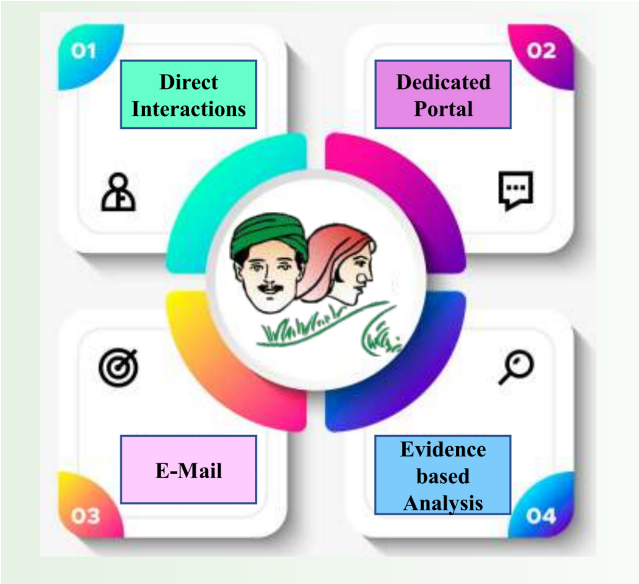


**चित्रः** कृषि कानूनों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए चार-स्तरीय रणनीति

# EXECUTIVE SUMMARY



The Committee was given the mandate to interact with all stakeholders to assess the recently enacted three Farm Laws. The Committee adopted a four-pronged strategy in arriving at its recommendations: - (1) direct interactions; (2) invitation of comments on a detailed questionnaire through a dedicated portal; (3) invitation of suggestions/comments/feedback at a dedicated e-mail id; and (4) evidence-based analysis carried out by the Committee. The pivot of the strategy was to assess the enacted Farm Laws in terms of getting the best deal for the 'farmer' in an inclusive and sustainable manner - both financially and environmentally.

The four-pronged strategy that the Committee adopted during its deliberations made it evident that a majority of the farmers and other stakeholders support the Farm Laws. The analysis of the Committee recognizes that the Acts intend to develop competitive agricultural markets, reduce transaction costs, and increase the farmer's share in the realized price of an agri-produce. The feedback received by the Committee, also, brought out diverse views and suggestions for modifications in the Acts.

The Committee carefully considered the feedback and the evidence borne by analysis. The key recommendations of the Committee are as under:

## I. BROAD RECOMMENDATIONS

(I) A repeal or a long suspension of these Farm Laws would be unfair to the 'silent' majority who support the Farm Laws.

(ii) States may be allowed some flexibility in implementation and design of the Laws, with the prior approval of the Centre, so that the basic spirit of these Laws for promoting effective competition in agricultural markets and creation of 'one nation, one market' is not violated.

(iii) Alternative mechanisms for dispute settlement, via Civil courts or arbitration mechanism, may be provided to the stakeholders.

(iv) The Government should take urgent steps towards strengthening agricultural infrastructure; enabling aggregation, assaying and quality sorting of agri produce through cooperatives and Farmer Producer Organizations (FPOs), and closer interaction between farmers and warehouses/processors/exporters/retailers/bulk buyers.

(v) An Agriculture Marketing Council, under the chairpersonship of Union Minister of Agriculture, with all States and UTs as members may be formed on lines of the GST Council to reinforce cooperative efforts to monitor and streamline the implementation of these Acts.

(vi) A large-scale communication exercise needs to be taken up by the Government to alleviate the apprehensions, doubts, and concerns of rest of stakeholders.

## II. RECOMMENDATIONS REGARDING FARMERS PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) ACT, 2020

(i) Development of a Price Information and Market Intelligence System, as mandated in Section 7 of the Act, needs to be expedited.

(ii) The terms of reference of the Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP) can be expanded to collate, analyze and disseminate price information – both domestic and international, with a view to facilitate efficient price discovery – both spot and futures. Alternatively, an independent organization may be created for the purpose.

(iii) There is a need to create a level-playing field to transactions in existing APMCs and in the 'trade area' as defined in the Act, the market fees/cess charged by APMCs, need to be abolished.

(iv) A compensation fund needs to be devised by the Centre over a period of 3-5 years on the lines of compensation fund for loss in GST revenue.

(v) States need to develop models to convert existing APMCs to revenue generating entities by making them hubs of agri-business by provision of better marketing facilities for cleaning, sorting, assaying, grading, storage and packaging.

(vi) To enable ease of usage and wider compliance, a list of additional documents to ascertain the address of the buyer, as an alternative to PAN number, may be notified by the Central Government under Section 4(1) of the Act.

(vii) Every trader/buyer may be required to register themselves which can be linked with the identity document notified by the Government (as in Proviso to Section 4(1)). An electronic dashboard may be developed for the purpose to enable ease of availability of information and strengthen the security of the transaction.

(viii) The payment by a trader under Section 4(3) of the Act should preferably be made simultaneously on receipt of delivery of the agri-produce to alleviate concerns of non-payments.



## III. RECOMMENDATIONS RELATED TO FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES ACT, 2020

(i) A model contract agreement should be formulated and shared on the website with all stakeholders to remove various glitches in implementation.

(ii) A major communication exercise needs to be undertaken to clear the apprehension that land of farmers would be usurped under this Act.

(iii) States may notify a Registration Authority and provide for electronic registration for all farming agreements under Section 12 of the Act.

(iv) To lend security to the contract for both the parties, the contract agreement should be signed by two witnesses from farmer's as well as contractor's side.

(v) Provision in the farming agreement should be made in case market prices increase than the contracted prices.

Report of The Supreme Court Appointed Committee on Farm Laws

## IV. RECOMMENDATIONS RELATED TO ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ACT (ECA), 2020

(i) The Government should consider in favour of completely abolishing the ECA Act, 1955 or take steps to substantially liberalize its provisions.

(ii) The price triggers, at present 100 percent for perishables and 50 percent for non-perishables in the Amendment Act, may be reviewed and enhanced to 200 percent and 75 percent, respectively.

(iii) Quantity of stock limits should be reasonably sufficient keeping in view of the trading volumes in major mandis.

(iv) Stock limits, if imposed, should be reviewed on a fortnightly basis.

(v) The price rise, as defined in the Amendment Act, should sustain itself for a month before any decision on stock limits is taken.

(vi) The reference period for price rise may be reduced to last three years.

(vii) Exports bans need to be rationalized and should be imposed in an objective manner based on similar price triggers as envisaged in this Act.

(viii) All the warehouses beyond a certain capacity must be registered with Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA). They should be mandated to report on a monthly basis on the availability of stocks.

(ix) The above information system can be integrated to the Price Information System as envisaged in the Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 to develop effective forecasting mechanisms using information on expected demand and supply; and stocks-to-use ratio.

(x) Operations under the Price Stabilization Fund need to be strengthened further by replenishing the buffer stock at harvest time when prices are generally depressed and releasing stocks in open market operations in lean-season when prices tend to rise.

# V. RECOMMENDATIONS RELATED TO AGRICULTURAL PRICE POLICIES

(i) The MSP and procurement support policy, as was designed for cereals during the Green Revolution time, needs to be revisited.

(ii) For wheat and rice, there has to be a cap on procurement which is commensurate to the needs of the Public Distribution System (PDS). The savings from this capping on wheat and rice procurement may be utilized to enhance prize stabilization fund for other commodities such as nutri-cereals, pulses, oilseeds and even onion and potatoes on open market principles.

(iii) The Committee supports the approach of NAFED in carrying out procurement operations in pulses and oilseeds under the Price Support Scheme – where procurement is done at the request of the States, a cap of 25 percent of the production is laid down and NAFED is exempt from payment of any mandi fees/cess/arhtiya commission.

(iv) The procurement of crops at a declared MSP can be the prerogative of the States as per their specific agricultural policy priorities.

(v) One of the options that the committee deliberated upon is to allocate the current expenditure by the Central Government on procurement, storage and PDS of wheat and rice across States based on an objective formula giving due weightage to production, procurement and poverty. The States should be given the freedom to devise their own approaches to support farmers and protect poor consumers in their respective States.

(vi) Another option is to give freedom of choice to beneficiaries of PDS to choose cash transfers equivalent to MSP + 25 percent for every kg of grain entitlement or get it in kind (wheat or rice).

(vii) A concrete road map for gradual diversification from paddy to more sustainable high-value crops, especially in Punjab-Haryana belt, needs to be formulated with adequate budgetary resources jointly by the Central Government and the respective State Governments.

RNI No. 831/1957
प्रकाशन की तिथि : 1 अप्रैल, 2022
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2021-23
तारीख 4 एवं 5, अप्रैल 2022

## सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः ______________________________

सदस्यता संख्याः ______________________________

वर्तमान पताः ______________________________

______________________________

टेलीफोन नंबरः ______________________________

मोबाइल नंबरः ______________________________

ईमेलः ______________________________

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल दिनांक 30 नवंबर 2021 तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

**नोटः** आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

**भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.bks.org.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**